मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
1, तिलक मार्ग, लखनऊ

डीजी परिपत्र संख्या: 55 दिनांक: सितम्बर 17, 2016

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उ0प्र0 ।

दिनांक 16-09-2016 को बिजनौर में एक लड़की के साथ छेड़-छाड़ के मामले में पुलिस द्वारा अपेक्षित स्तर की तत्परता, संवेदनशीलता एवं सख्ती नहीं दिखाई गई । इसका नतीजा यह हुआ कि कि पुलिस की एक छोटी सी टुकड़ी, जो मौके पर पहुंची, उसकी मौजूदगी में लगभग 200 लोगों ने आग्नेयास्त्रों से फायरिंग की जिसमें 3 व्यक्ति मारे गये एवं एक दर्जन घायल हुये । अब तक जो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं उससे स्पष्ट होता है कि -

(1) प्रातःकाल - अर्थात 9 a.m. से पहले - नियंत्रण कक्ष अथवा नगर कोतवाली में एक राजपत्रित अधिकारी के पुलिस बल के साथ उपलब्ध रहने के जो दिशा-निर्देश मेरे द्वारा दिये गये हैं उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है ।

(2) बिजनौर के पीड़ित पक्ष द्वारा अधिकारियों और नियंत्रण कक्ष से फोन द्वारा सम्पर्क करने के लगातार प्रयास किये गये परन्तु सम्पर्क नहीं हो पाया । स्पष्ट है कि नियंत्रण कक्ष, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी स्वयं फोन नहीं उठा रहे हैं अथवा प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर संवेदनशीलता एवं तत्परता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं । यह घोर आपत्ति का विषय है ।

(3) वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लड़कियों एवं महिलाओं की अस्मिता एवं उनकी सुरक्षा एक अत्यन्त संवेदनशील और महतवपूर्ण बिन्दु बन गया है । इसको लेकर न केवल राजनैतिक गतिविधियाँ बहुत तेज हो जाती हैं बल्कि किसी घटना का राजनैतीकरण करके लोगों को आंदोलित कर दिया जाता है । महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़-छाड़/अपराध की घटनाओं पर अत्यन्त संवेदनशील रहने के लिये मेरे द्वारा सभी अधिकारियों को अनेकों-अनेकों बार लिखित एवं मौखिक रूप से निर्देश दिये गये हैं परन्तु जनपदीय पुलिस अधीक्षक एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी स्थिति की गम्भीरता को समझ कर लगातार चौकसी नहीं बना रहे हैं । यह भी अत्यन्त चिन्ता एवं घोर आपत्ति का विषय है ।

2- इस पत्र के माध्यम से मैं इन बिन्दुओं को आपके समक्ष इस अपेक्षा से रख रहा हूँ कि बिजनौर में हुयी घटना से सबक लेते हुये यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक जनपद में सुधारात्मक कार्यवाही की जाय और यह सुनिश्चित किया जाय कि ऐसे तत्व जो एक छोटी घटना का बहाना बनाकर बड़ी घटना करने के प्रयास में रहते है अथवा शान्ति-व्यवस्था भंग करने के प्रयास में रहते है उनके विरूद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की जाय । ढ़िलाई बरतने वालों के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण के कार्य में ढ़ील न दी जाय ।

17.9.
(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।